

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती मोनिका जाखड़, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 524/21 (वाद)

GCMS NO. : 2021/851

उनवान

1. श्री त्रिभुवन कुमार पिता श्री लक्ष्मीनारायण मीणा हाल निवासी डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ।

.....वादी

बनाम

1. श्रीमती कंकु पत्नी श्री वरदा जी मीणा निवासी आरनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. श्री केलाश पिता श्री नानालाल जी मीणा निवासी डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ राज0।
3. श्री कालु पिता वरदा जी मीणा निवासी आरनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
4. श्री बालु पिता वरदा जी मीणा निवासी आरनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
5. श्री भूरा पिता वरदा मीणा निवासी आरनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
6. श्री शिवराम पिता भगतराज मीणा निवासी डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ राज0।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड जिला उदयपुर राज0।

.....प्रतिवादीगण

- उपस्थित-1.** श्री चेतनप्रकाश जैन, अधिवक्ता वादी।
2. श्री उमेश माली, अधिवक्ता प्रतिवादी।
 3. श्री अनिरुद्ध आमेटा, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: :निर्णय: :-

दिनांक : 22.11.2022
वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा किया जाने पर सहमति व्यक्त की।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर बंटवाडा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादीगण से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरें एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावें।

परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा आरनीया पटवार हल्का पिथलपुरा तहसील कानोड की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर प्र.सं. 524/21 अनवान त्रिभुवन बनाम कंकु निर्णय दिनांक 22.11.2022

क्र.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकवा	किस्म	लगान
1	श्री त्रिभुवन कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण सा. भण्डारी तह. टोडाभीम जिला करोली खातेदार	347/1	0.12.	बा.द्वि.	0.60
	योग	किता 1	0.12		0.60
2.	श्री केलाश पुत्र नानालाल मीणा सा. डूंगला खातेदार	347/2	0.11	बा.द्वि.	0.55
	योग	किता 1	0.11		0.55
3.	श्री शिवराम पुत्र भगतराम मीणा सा. डूंगला खातेदार	347/3	0.32	बा.द्वि.	1.60
	योग	किता 1	0.32		1.60
4.	कंकु पत्नी वरदा 31/113 मीणा कालु पुत्र वरदा 42/113 मीणा बालु पुत्र वरदा 9/113 मीणा भुरा पुत्र वरदा 31/113 मीणा सा. देह खातेदार	347/4	1.13	बा.द्वि.	5.65
	योग	किता 1	1.13		5.65

पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती मोनिका जाखड़, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 524/21 (वाद)

GCMS NO. : 2021/851

उनवान

1. श्री त्रिभुवन कुमार पिता श्री लक्ष्मीनारायण जी मीणा हाल निवासी डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ।

.....वादी

बनाम

1. श्रीमती कंकु पत्नी श्री वरदा जी मीणा निवासी आरनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. श्री केलाश पिता श्री नानालाल जी मीणा निवासी डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ राज0।
3. श्री कालु पिता वरदा जी मीणा निवासी आरनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
4. श्री बालु पिता वरदा जी मीणा निवासी आरनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
5. श्री भूरा पिता वरदा मीणा निवासी आरनीया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
6. श्री शिवराम पिता भगताराज मीणा निवासी डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ राज0।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड जिला उदयपुर राज0।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.11.2022 को श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा आरनीया पटवार हल्का पिथलपुरा तहसील कानोड की निम्न आराजियात का बंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	श्री त्रिभुवन कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण सा. भण्डारी तह. टोडाभीम जिला करोली खातेदार	347/1	0.12.	बा.द्वि.	0.60
	योग	किता 1	0.12		0.60
2.	श्री केलाश पुत्र नानालाल मीणा सा. डूंगला खातेदार	347/2	0.11	बा.द्वि.	0.55
	योग	किता 1	0.11		0.55
3.	श्री शिवराम पुत्र भगताराम मीणा सा. डूंगला खातेदार	347/3	0.32	बा.द्वि.	1.60
	योग	किता 1	0.32		1.60
4.	कंकु पत्नी वरदा 31/113 मीणा कालु पुत्र वरदा 42/113 मीणा बालु पुत्र वरदा 9/113 मीणा भुरा पुत्र वरदा 31/113 मीणा सा. देह खातेदार	347/4	1.13	बा.द्वि.	5.65
	योग	किता 1	1.13		5.65

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर प्रं.सं. 524/21 अनवान त्रिभुवन बनाम कंकु निर्णय दिनांक 22.11.2022

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।